

**अधिसूचना संख्या 175/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1962(ई), दिनांक
20-7-2015**

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 737 (ई) दिनांक 13 मार्च, 2009 द्वारा केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 11 पर "स्कूल फॉर डेफ म्यूट्स सोसाइटी, आश्रम रोड, अहमदाबाद- 380009" द्वारा "नेत्रहीनों के लिए फिजियोथेरेपी कोर्स" को वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाले तीन साल की अवधि के लिए 67.81 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना के रूप में अधिसूचित किया था और; जिसे वित्तीय वर्ष 2014-15 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए *आगे* अधिसूचना संख्या एस. ओ. 3131 (ई) दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 के तहत आगे बढ़ाया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के छह साल से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या योजना को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "नेत्रहीन लोगों के लिए फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम" योजना या परियोजना को, जिसे "स्कूल फॉर डेफ म्यूट्स सोसाइटी, आश्रम रोड, अहमदाबाद- 380009" द्वारा अनुमोदित लागत 67.81 लाख रुपये में किसी भी बदलाव के बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में चलाया जा रहा है।

■ ■